भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 346

04 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: फसल बीमा योजना

346. श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमाः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत फसल बीमा योजना का लाभ उठाने वाले किसानों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को फसल बीमा योजना से लाभान्वित होने वाले बीमित किसानों की बीमा राशि में घटती हिस्सेदारी के बारे में जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त किसानों को अधिक धनराशि वितरित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए बीमा प्रीमियम बढ़ाने की योजना बना रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) के अंतर्गत नामांकित किसान आवेदनों की संख्या का राज्य-वार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।.

(ख) एवं (ग): देश में खरीफ 2016 सीज़न से शुरू की गई पीएमएफबीवाई और आरडब्ल्यूबीसीआईएस राज्यों और किसानों के लिए स्वैच्छिक हैं। इस योजना के अंतर्गत किसानों को बहुत ही न्यूनतम प्रीमियम पर फसलों की बुवाई से पूर्व से लेकर कटाई के बाद तक सभी गैर-रोकथाम योग्य प्राकृतिक जोखिमों के लिए व्यापक जोखिम कवरेज प्रदान किया जाता है।

योजना के कार्यान्वयन में प्राप्त अनुभव और हितधारकों के विचारों और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने विभिन्न उपाय किए हैं जैसे (क) बोली प्रक्रिया के माध्यम से बीमा कंपनी के चयन के लिए कार्यकाल को बढ़ाकर 3 वर्ष करना; (ख) तीन वैकल्पिक जोखिम मॉडल अर्थात: लाभ और नुकसान साझाकरण, कप और कैप (60-130), कप और कैप (80-110) की शुरूआत, जिसके अंतर्गत एक निश्चित सीमा से नीचे के दावों के मामले में, राज्य द्वारा सब्सिडी के रूप में भुगतान किया

गया प्रीमियम का हिस्सा स्टेट ट्रेजरी में वापस चला जाएगा; (ग) प्रौद्योगिकी का समावेश जैसे राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) की शुरूआत; प्रौद्योगिकी पर आधारित उपज आकलन प्रणाली (यस-टेक); मौसम सूचना नेटवर्क और डेटा प्रणाली (विंड्स); कलैक्शन ऑफ रियल टाईम आब्जरवेशनस एंड फोटोग्राफ्स ऑफ क्रॉपस (क्रॉपिक), एनसीआईपी के साथ राज्य भूमि रिकॉर्डों का एकीकरण, सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) का उपयोग करके किसानों के खाते में सीधे दावों की जांच और निपटान के लिए एनसीआईपी पर डिजीक्लेम मॉड्यूल; (घ) योजना के तहत कार्यान्वयन और कवरेज में सुधार के लिए आईईसी गतिविधियों आदि में वृद्धि। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के कारण, योजना के तहत कवरेज वर्ष-दर-वर्ष बढ़ रहा है और किसान बैंक ऋण की सदस्यता के बजाय स्वेच्छा से इस योजना की सदस्यता ले रहे हैं।

वास्तव में, वर्ष 2022-23 और वर्ष 2023-24 के दौरान किसान आवेदनों की संख्या में क्रमशः 35.12% और 27.50% की वृद्धि हुई है और वर्ष 2023-24 के दौरान योजना की शुरुआत से यह अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है।

(घ) एवं (ड.): इस योजना के प्रावधानों के अनुसार, बीमा कंपनियों द्वारा बीमांकिक/बोली वाली प्रीमियम दरें ली जाती हैं, लेकिन किसानों को खरीफ के लिए बीमित राशि का अधिकतम 2%, रबी खाद्य और तिलहन फसलों के लिए बीमित राशि का 1.5% और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए बीमित राशि का 5% देना पड़ता है और शेष बीमांकिक/बोली आधारित प्रीमियम को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा साझा किया जाता है। वर्तमान में, इस योजना के तहत प्रीमियम संरचना को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

अनुबंध

31 दिसंबर 2024 तक पीएमएफबीवाई और आरडब्ल्यूबीसीआईएस के तहत नामांकित किसान आवेदन					
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	99	339	535	173	187
आंध्र प्रदेश	27,88,373	-	-	1,25,63,699	1,29,01,749
असम	10,06,212	16,60,076	9,96,027	4,89,983	7,95,553
छत्तीसगढ	40,17,118	51,58,351	58,38,755	77,30,260	81,24,956
गोवा	886	84	64	403	234
गुजरात	24,80,726	-	-	-	-
हरियाणा	17,10,601	16,50,558	14,52,842	14,46,631	1,01,74,480
हिमाचल प्रदेश	2,84,009	2,40,727	2,33,725	2,67,643	2,78,051
जम्मू एवं कश्मीर	-	-	90,834	91,582	2,45,630
झारखंड	10,92,116	-	-	-	-
कर्नाटक	19,45,207	15,87,801	19,17,808	26,84,781	30,15,023
केरल	58,135	76,317	98,510	1,46,546	1,74,141
मध्य प्रदेश	83,97,265	84,52,044	92,64,216	1,77,32,045	1,77,95,819
महाराष्ट्र	1,45,66,294	1,24,06,368	99,02,582	1,07,33,909	2,41,85,161
मणिपुर	3,256	-	2,807	4,066	5,073
मेघालय	607	130	-	337	38,569
ओडिशा	48,79,301	97,52,474	81,73,856	80,20,763	1,40,97,157
पुदुचेरी	12,014	10,980	35,818	38,384	42,224
राजस्थान	86,16,616	1,07,59,591	3,44,70,735	3,90,96,690	3,89,87,544
सिक्किम	21	85	2,422	5,025	3,104
तमिलनाडु	38,93,787	58,87,474	59,11,015	61,43,139	54,55,753
तेलंगाना	10,34,223	-	-	-	-
त्रिपुरा	36,382	2,57,236	3,35,514	3,56,201	3,73,362
उत्तर प्रदेश	46,97,567	41,90,508	40,68,679	42,83,804	60,25,293
उत्तराखंड	2,12,675	1,70,812	1,82,762	2,82,068	2,26,809
अखिल भारत	**6,17,33,490**	**6,22,61,955**	**8,29,79,506**	**11,21,18,132**	**14,29,45,872**

*****